

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 196/2022**

Hariom Gupta & Ors.

..... Applicants

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.

.....Respondents

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD, LONI, UTTAR PRADESH	1-5
2.	A true copy of the letter is annexed here as ANNEXURE 1.	6
3.	A true copy of the DPR proposal is annexed here as ANNEXURE 2.	7-8
4.	A copy of this approval is annexed herewith as ANNEXURE 3	9

Priyanka

THROUGH

**PRIYANKA SWAMI
Advocate
Counsel for SEIAA, U.P.
F- 13, Ground Floor,
Jangpura Extension,
New Delhi- 110014**

01

Date: __.04.2024

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 196/2022**

Hariom Gupta & Ors.

.... Applicants

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.

.... Respondents

**ACTION TAKEN REPORT ALONG WITH THE AFFIDAVIT ON BEHALF
OF THE EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD, LONI,
UTTAR PRADESH.**

That the said action taken report is on behalf of the executive officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Uttar Pradesh, in compliance with the order dated 29.01.2024.

1. That is respectfully submitted that we have sent a letter to the Principal Secretary, Urban Development Department, UP via Letter no. 1579/N.P.P.L.G.A./2023-24 DATED 16.01.2024 regarding the preparation of DPR of sewage and drainage plan for the drainage of pooja colony of the municipality area under AMRUT 2.0. A true copy of the letter is annexed here as ANNEXURE 1.
2. That it is respectfully submitted that the DPR has been prepared and the further process has been initiated. However, due to the course of conduct, the

DRP is delayed a bit, due to elections which are to be held for the next two months. A true copy of the DPR proposal is annexed here as ANNEXURE 2.

3. That it is pertinent to mention here that the concerned DM, District Administration is monitoring the actions in compliance with the order, it is further mentioned that the Estimated withdrawal of 372000 litres of water, has been taken from there on a daily basis to the sewage treatment plant, where the water is treated.
4. That it is further mentioned that the applicant disclaims personal involvement in the subject matter and refrains from visiting the site to assess the conditions of the roads despite repeated calls.
5. Further, it is pertinent to inform you that pursuant to the letter dated January 25, 2024, bearing reference number S. No. 613/Nine-5-2024-42 Writ/2023, issued by the Joint Secretary of the Uttar Pradesh Government's Urban Development Section-5 in Lucknow, approval has been granted to formulate a sewerage drainage plan in accordance with prescribed regulations. A copy of this approval is annexed herewith as ANNEXURE 3 . Consequently, the entity is diligently adhering to the directives laid forth by the esteemed National Green Tribunal, and the ongoing drainage work in Pooja Colony is will be executed accordingly.
6. That it is further mentioned that in several streets within the colony (approximately 6 to 7 streets), septic tanks have been installed within individual households for the disposal of domestically generated excreta, while water resulting from routine domestic activities and cleanliness

endeavours is channelled through appropriate means. However, the absence of adequate sewage and drainage infrastructure has led to the accumulation of water in the green belt area adjacent to Sector-1 of Trans Delhi Signature City, Loni Ghaziabad, particularly near Ansal Estate. To address this issue, the municipal authority is periodically draining the waterlogged area using pump sets and jetting machines.

7. That it is respectfully submitted that the map and layout plan have been duly sanctioned by the Ghaziabad Development Authority, affirming the body's adherence to regulatory standards. It is imperative to note that the organization operates independently, focusing on public health and sanitation initiatives as mandated. Consequently, the imposed penalty is deemed disproportionate and not conducive to the organization's objectives. We respectfully request your careful consideration of our position and accompanying documentation.

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 196/2022**

Hariom Gupta & Ors.

..... Applicants

Versus


Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.

..... Respondents

TRUE COPY

AFFIDAVIT

I, **Sh. Krishna Kant Mishra** aged about 40 years s/o **Sh. Ram Lawat Mishra** is presently posted as **Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Uttar Pradesh** having office at **Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh** presently in **Delhi**.



1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

(Signature)

[Handwritten Signature]

अविशासी अधिकारी
नगर पालिका, गाजिबाद
DEPONENT
गाजिबाद

TRUE COPY
VERIFICATION

01 APR 2024

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this _____ day of April 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed



ATTESTED
[Handwritten Signature]
NOTARY PUBLIC
(INDIA)

Pariyanka
I identified the deponent who has signed in my presence **01 APR 2024**

[Handwritten Signature]

अविशासी अधिकारी
नगर पालिका, गाजिबाद
DEPONENT
गाजिबाद

कार्यालय नगर पालिका परिषद लोनी, जनपद-गाजियाबाद

पत्र संख्या :- 1579 / न0पा0परि0लो0गा0 / 2023-24

दिनांक:- 16 जनवरी 2024

सेवा. में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, अनुभाग-1,
उ0 प्र0 शासन।

विषय:- अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेज ड्रेनेज प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद जनसंख्या की विशालता के आधार पर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो लगभग 58.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि जनगणना-2011 के अनुसार निकाय की कुल आबादी 5.86 लाख है जबकि वर्तमान में लगभग 10 से 12 लाख आबादी निवास कर रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि निकाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीपस्थ है। इस कारण यहाँ अभी भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। जनपद बागपत से आने वाली बसी ड्रेन का उत्प्रवाह आवास-विकास के क्षेत्र से होकर टीडीएस सिटी, लोनी, गाजियाबाद में आकर भर रहा है। लोनी नगर पालिका के आस-पास के अधिकांश वार्डों में सम्पर्क मार्ग ऊँचे-नीचे एवं कच्चे तथा डूब क्षेत्र होने के कारण निकाय में जलभराव एक गम्भीर समस्या के रूप में विद्यमान है। मानसून में बरसात का घनत्व अधिक होने के कारण एवं नगर पालिका परिषद, लोनी का भौगोलिक स्वरूप जलबहाव के अनुरूप न होने के कारण जल प्लावन की समस्या अधिक है। चूँकि उक्त क्षेत्र यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण पालिका का क्षेत्र लो-लैण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है एवं जल निकासी का कोई मुख्य स्रोत नहीं है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पूजा कालोनी फ्रीहोल्ड कालोनी, जिसमें छोटे-छोटे मकानों के रूप में निवासी निवास करते हैं, जो घनी आबादी है। यह आबादी लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व में फ्री होल्ड कालोनी दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है। इस कालोनी का प्राकृतिक ढाल दिल्ली सहारनपुर रोड से सी-3 सेक्टर सिग्नेचर सिटी (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) की ओर है एवं पूजा कालोनी, सी-3 सेक्टर सिग्नेचर सिटी (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) से लगभग 01 मीटर से 1.50 मीटर ऊँचाई पर स्थित है तथा पूजा कालोनी की 7 से 8 कालोनियों का पानी, पावी सादकपुर में दिल्ली सहारनपुर रोड के पास स्थित गहरे गड्ढे में भरा रहता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"It may also be observed here that UPPCB cannot be a silent spectator to the violations of the Solid Waste Management Rules 2016 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and mere issuance of show cause notices without taking of appropriate action on the same or issuance of directions without implementation of the same can not achieve the object of protection of environment. The UPPCB is directed to take action for of environmental compensation and also prosecution of the concerned officers and the contractor alleged to have violated the environmental norms...."

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि अमृत 2.0 के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र के पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

16.1.24

(कृष्ण कान्त मिश्र)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि-

- 1-निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- 3-मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज का डी.पी.आर. तैयार करने का कष्ट करें, चूँकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 196 / 2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. से सम्बन्धित है; शीघ्रता अपेक्षित है।
- 4-क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

16.1.24

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38-2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Versus. Nagar Palika Parishad & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 में दिनांक 19.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं अन्य के साथ मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को पृष्ठांकित के पत्रांक 1579/न0पा0परि0लो0गा0/2023-24 दिनांक 16.01.2024 द्वारा पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में आख्या निम्नानुसार है:-

लोनी नगर में सीवरेज व्यवस्था:-

लोनी के सम्पूर्ण क्षेत्र को सीवरेज के पूर्ण संतृप्तिकरण हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 भाग में सिटी वॉटर एक्शन प्लान तैयार कर AMRUT 2.0 Collaboration Portal पर प्रवृष्टि कर दी गई है। उक्त सी0डब्लू0ए0पी0 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार :-

1. भाग-1: लोनी सीवरेज योजना (फेस-3, पार्ट-1) लागत रू0 72.37 करोड़ (कैपेक्स- 71.33 करोड़ औपेक्स- 1.04 करोड़), इस योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र के वार्ड 28 एवं 41 जिसके अन्तर्गत सादुल्लाबाद, अंकुर विहार, डी0एल0एफ0 विहार आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं, को सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 57 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 6927 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा माह नवम्बर-2022 में प्रदान की जा चुकी है। योजना के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित है।
2. भाग-2: लोनी सीवरेज योजना (फेस-3, पार्ट-2) लागत रू0 103.97 करोड़ (कैपेक्स-102.45 करोड़ औपेक्स- 1.52 करोड़):- उक्त योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र की लगभग 15 वार्ड के जोकि वर्तमान में आंशिक सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित हैं, को 100 प्रतिशत सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 70 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 26707 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त योजना के सी0डब्लू0ए0पी0 की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के विस्तृत प्राक्कलन विरचन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
3. भाग-3: लोनी सीवरेज योजना (फेस-3, पार्ट-3) लागत रू0 2067.00 करोड़ (कैपेक्स-1825.00 करोड़ औपेक्स- 242.00 करोड़):-, उक्त योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र के अवशेष 38 वार्डों जिसमें अन्य कालोनी के अतिरिक्त पूजा कालोनी सम्मिलित है, को सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 136

एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, 10 नग पम्पिंग स्टेशन, 900 कि0मी0 सीवर नेटवर्क, 111339 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये है। उक्त योजना के सी0डब्लू0ए0पी0 की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के विस्तृत विरचन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद स्थित लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पूर्व निर्मित 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एम0बी0बी0आर0 टाईप) सादुल्लाबाद के शोधित श्राव को औद्योगिक प्रयोग हेतु योजन, लागत रू0 108.45 करोड़ (कैपेक्स-97.45 करोड़ औपेक्स- 11.00 करोड़) की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा माह नवम्बर-2023 में प्रदान की जा चुकी है। योजना के अन्तर्गत 15 एम0एल0डी0 टी0टी0पी0, सी0डब्लू0आर0 - 2500 के0एल0, ओ0एच0टी0 - 01 नग (2000 के0एल0), वितरण प्रणाली - 35 कि0मी0 एवं राईजिंग मेन - 2.50 कि0मी0 कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में योजना की निविदा प्रक्रिया प्रचलित है।


लोनी नगर में ड्रेनेज व्यवस्था:-

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 3788/नौ-5-2012-111बजट/2010 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा रू0 05.00 लाख से अधिक लागत के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये जाने निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि लोनी नगर यमुना नदी के बायी तट पर डूब क्षेत्र में स्थित होने के कारण जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान हेतु सम्पूर्ण नगर का विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किये जाना आवश्यक है। सर्वेक्षण एवं मास्टर प्लान पर लगभग रू0 50.0 लाख का व्यय अनुमानित है। लोनी नगर पालिका द्वारा उक्त धनराशि उपलब्ध कराने एवं उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को कार्यदायी संस्था नामित कराने के उपरान्त लोनी नगर के ड्रेनेज की डी0पी0आर0 विरचन का कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रारम्भ किया जा सकेगा।



(अरुण प्रताप सिंह)
अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद



(सी0एस0 सोलंकी)
अधीक्षण अभियन्ता,
निर्माण मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद



(आर0के0 पंकज)
मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषय:-अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेज ड्रेनेज प्लान तैयार कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद के पत्र संख्या-1579/न0पा0परि0लो0गा0/2023-24 दिनांक 16.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद- गाजियाबाद के उक्त पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव शीर्ष प्राथमिकता/व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक:यथोक्त।

भावदीय,
25.01.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।